

**शारीरिक विकलांग के लिए प्रमाण-पत्र**

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/ श्री.

नीचे लिखे कारणों से शारीरिक रूप से विकलांग है।  
(केवल मुख्य चिकित्सालय अधिकारी ही कारण लिखें)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विकलांग स्थिति अभ्यर्थी के इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने में बाधक नहीं होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
दिनांक एवं स्थान.....

हस्ताक्षर.....  
पूरा नाम.....

मोहर.....